

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

परामर्श सूचना

QCT-2022-23-000040-Part (2)

दिनांक: 04.02.2026

फ्रांस को ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात पर परामर्श

फ्रांस के अधिकारियों द्वारा विनियमन (ईसी) संख्या 178/2002 के अनुच्छेद 54 के तहत अपनाए गए अधिसूचित आदेश के संदर्भ में, फ्रांस ने निम्नलिखित विशिष्ट सक्रिय पदार्थों के अवशेषों (एमआरएल यानी अधिकतम अवशेष सीमा से कम होने पर भी) वाले खाद्य पदार्थों या पशु आहार के आयात, परिचय और बाजार में उतारने पर रोक लगा दी है। इन पदार्थों में ग्लूफोसिनेट, मैनकोजेब, थियोफेनेट-मिथाइल, कार्बेन्डाजिम और बेनोमिल शामिल हैं।

कृपया ध्यान दें कि यह निलंबन विभिन्न फलों, सब्जियों, अनाजों, मशरूम और शैवाल से संबंधित है, जिनमें संबंधित पदार्थों के अवशेष ऐसे स्तर पर मौजूद हो सकते हैं जो चिंता का विषय हैं।

फ्रांस द्वारा जारी अधिसूचना का विवरण निम्नलिखित लिंक में देखा जा सकता है:

[https://www.epingalert.org/en/Search?distributionDateFrom=2023-07-](https://www.epingalert.org/en/Search?distributionDateFrom=2023-07-21¬ificationTypes=Emergency%20notifications%20(SPS)%2CRevision%20to%20Emergency%20Notification%20(SPS)%2CAddendum%20to%20Emergency%20Notification%20(SPS)%2CCorrigendum%20to%20Emergency%20Notification%20(SPS)&viewData=G%2FSPS%2FN%2FFRA%2F22)

[21¬ificationTypes=Emergency%20notifications%20\(SPS\)%2CRevision%20to%20Emergency%20Notification%20\(SPS\)%2CAddendum%20to%20Emergency%20Notification%20\(SPS\)%2CCorrigendum%20to%20Emergency%20Notification%20\(SPS\)&viewData=G%2FSPS%2FN%2FFRA%2F22](https://www.epingalert.org/en/Search?distributionDateFrom=2023-07-21¬ificationTypes=Emergency%20notifications%20(SPS)%2CRevision%20to%20Emergency%20Notification%20(SPS)%2CAddendum%20to%20Emergency%20Notification%20(SPS)%2CCorrigendum%20to%20Emergency%20Notification%20(SPS)&viewData=G%2FSPS%2FN%2FFRA%2F22)

प्रतिबंधित खाद्य सामग्रियों / पदार्थों और उनसे संबंधित कृषि रसायनों का विवरण नीचे दिया गया है:

खाद्य सामग्री (कच्चे या प्रसंस्कृत)	पादप संरक्षण पदार्थ
चकोतरा, संतरा, नींबू, लाइम, क्लेमेंटाइन/ कीनू (टेंजेरीन), बही, सेब, नाशपाती, आड़ू, लोकाट, आलूबुखारा, अन्य लोकाट, पोम फल, खुबानी, चेरी (मीठी), और बैंगन, भिंडी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, बीन्स (फली सहित), मटर (फली सहित), संवर्धित मशरूम, सोयाबीन, जौ, जई, राई, गेहूं	कार्बेन्डाजिम और बेनोमिल
आलू	ग्लूफोसिनेट
चकोतरा, संतरा, नींबू, लाइम, क्लेमेंटाइन/ कीनू (टेंजेरीन), सेब, नाशपाती, बही,	थियोफेनेट-मिथाइल

लोकाट, अन्य पौम फल, खुबानी, चेरी (मीठी), आड़ू, आलूबुखारा, वाइन वाले अंगूर, आम, पपीता, टमाटर, बैंगन, भिंडी, खरबूजा, कद्दू, तरबूज, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, समुद्री शैवाल और प्रोकैरियोटिक जीव, सोयाबीन, जौ, जई, राई, गेहूं	
एवोकैडो, टेबल अंगूर, आम, पपीता, ब्लैककंठ, स्ट्रॉबेरी, आलू, मिर्च, खरबूजा, सलाद पत्ता (लेट्यूस)	मैनकोज़ेब

अतः निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे जोखिम कम करने के उपाय अपनाएँ अथवा फ्रांस को ऐसे खेप भेजने से बचें जिनमें इन रसायनों के अवशेष मौजूद हों।

रीबा अब्राहम
उप महाप्रबंधक